

दिनांक 04/01/23

सेवा में

1062
4-1-23

प्रथम अपील अधिकारी (स्वास्थ्य)
शेडर नोएटा प्राधिकरण

विषय :- RTI Act 2005 के तहत मांगी गयी
सूचना असंबंधानिक तथ्य पर नष्ट होने के
विषय अपील आवेदन।

महोदय,

प्राथमिक द्वारा जन सूचना अधिकारी अधिनियम
2005 के तहत जन सूचना अधिकारी (स्वास्थ्य) से
13 विन्दुओं की सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक
28/11/2022 को आवेदन किया जिसका जन सूचना
अधिकारी ने अपने पत्र सं. 1523 दिनांक 27/12/22
के द्वारा आवेदन के साथ सहकृष्ण सूचना देने
से इंकार कर दिया कि RTI Act में नकद नोट बतौर
आवेदन के रूप में मना है। जन सूचना अधिकारी का
कार्य क्षेत्र अधिनियम और RTI Act का उल्लंघन है
RTI Act में स्पष्ट प्रावधान है कि फोरमल आर्डर
बिना नोट प्राप्त करा जा सकता है। मांगी
गयी सूचना व प्रपत्र विभाग द्वारा संचिकाकार
अधीन की गयी अनिश्चितता, विज्ञापित अनिश्चितता
व अन्य अनिश्चितता को उजागर होने हेतु देने
के लिए अधिनियम व असंबंधानिक तथ्यों के
सहारे सूचना नहीं देना पाए रहे है।

APRIL 2023
RTI-2023
APRIL 2023
05/01/23

आप से आग्रह है कि RTI Act के तहत
मांगी गयी सूचना, प्रपत्र के साथ ही प्रभावली
अवलोकन कराये जाने का आदेश पारित करने
का कार्य करें।

संलग्नक
सादर
जय श्री गणेश
संजय रण

दिनांक- 04/01/2023

सेवा में प्रथम अपीलीय अधिकारी (जल)

ग्रेड नंबर 175 अधिकारण

106/4-1-23

विषय :- RTI Act के अंतर्गत अनुरोध मांगी गयी सूचना देने के लिये अनावश्यक कमी लगाए जाने के विरुद्ध अपील आवेदन।

A.P.I. NO. 21330
D.O. 01/23
APR 10 2023

महोदय,

आधी द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी (जल) से 08/11/2022 को आवेदन किया था जिस पर हेतु दिनांक - 28/11/2022 को आवेदन किया था जिस पर सहायक जन सूचना अधिकारी (जल) द्वारा पत्र सं. जल/2022/299 दिनांक - 14/12/2022 के द्वारा आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र न लगाये जाने के कारण आवेदन को अस्वीकृत कर आवेदन सहित सभी प्रपत्र वापस कर दिया गया।

सहायक जन सूचना अधिकारी (जल) द्वारा जे लके दिया गयी है वह न तो RTI Act में कहीं प्रावधानित है और नही ग्रेड नंबर 175 अधिकारण में। विशाला द्वारा मांगी गयी सूचना न उपलब्ध कराने का उद्देश्य है अधिकारण द्वारा स्थापित मानकों के विपरित रहे संविदा कारो के अपन व भुगतान को दिखाना है।

अतः आप से आग्रह है कि मांगी गयी सूचना व पत्रावली कंत्रालय के आवेदन पत्रों जिसे पारदर्शिता पर उंगली न उठे। सादर

आधी
संजय राय
SD- 83
हैबर 45
नंबर 175

संलग्नक
1- पूर्व में किंगडॉम

सेवा में 5-1-23
प्रथम अपीलपी अधिकारी (उद्यान)
ग्रैटर नौरडा प्राधिकरण

विषय: RTI Act के तहत मांगी गयी सूचना डेनक
वजाय अनावश्यक कमी बताने जान के विरुद्ध
अपील आवेदन।

महोदय, जाधी द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम
2005 के तहत जन सूचना अधिकारी (उद्यान) से 14
दिसम्बर 2022 को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक- 28/11/22
को आवेदन किया था। सूचना डेनक वजाय जन सूचना
अधिकारी द्वारा पत्र सं. S.M/ उद्यान/ 2022/ 952 दिनांक
26/12/2022 के द्वारा आवेदन पत्र के साथ पट्टान पत्र
न देकर सिर्फ जान के कारण सूचना न दिए जाने का कारण,
उक्त संबंध में कथित शरणा है जन सूचना
अधिकारी को लगे गए श्री. आर. पी. आर. कोश में कही
गयी ग्रैटर नौरडा प्राधिकरण में। मांगी गयी
सूचना न दिए जाने के लिए आधारहीन कारण
बताना वजाय है जो पूर्णतया असंभव है।
आग्रह है कि मांगी गयी सूचना व पत्रावली अवलोकन
करके जन सेवा आदेश परिहारे।

~~A. P. Kulkarni
R.T. Officer
Date: 04/01/23~~

संलग्नक

- 1 - पूरक में किए गये आवेदन की
दस्तावेज

जाधी
संजय राय
SD-03
सेक्टर 45
नौरडा

2 - जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी 9 868 72 5800